संख्या-8/2016/एस-3-671/दस-2014-ब(3)/13

प्रेषक,

राज रतन
उप सचिव
उ0प्र0शासन

सेवा में,

निदेशक,
कोषागार,उ0प्र0,
जवाहर भवन , लखनऊ।

वित्त (सेवायें) अनुभाग-3 लखनऊ : दिनांक 21 मार्च, 2016

विषय:- कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के प्रयोगार्थ क्रय किये गये 02 वाहनों हेतु आउटसोर्सिंग के आधार पर 02 नये वाहन चालकों की सेवायें लिए जाने हेतु स्वीकृति प्रदान किये जाने के संबंध में ।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक- 2189/4312/1(6)/2003-04/को0नि0 बजट, दिनांक 26-09-2014 के संदर्भ में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि कोषागार निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ के प्रयोगार्थ क्रय किये गये 02 नये वाहनों के परिचालन हेतु 02 नये वाहन चालक के अस्थायी पद दिनांक 28-02-2017 तक के लिए, यदि इन्हें बिना पूर्व सूचना के समाप्त न कर दिया जाय तत्काल प्रभाव से इस शर्त के साथ सृजित किये जाने पर श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है कि इन पदों पर नियमित नियुक्ति नहीं की जायेगी तथा ये पद आउटसोर्सिंग के माध्यम से भरे जायेंगे।

2- उक्त पर होने वाला व्यय अनुदान संख्या-63 के लेखाशीर्षक-"2054-खजाना तथा लेखा प्रशासन-095 खजाना निदेशालय-03 कोषागार निदेशालय के अन्तर्गत मानक मद-16 व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान" के नामे डाला जायेगा ।

भवदीय,

(राज रतन)
उप सचिव।

संख्या- 8/2016/एस-3-671(1)/दस-2014-तददिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित -

1- महालेखाकार,(ले0ह0) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद।
2- महालेखाकार (आडिट) प्रथम/द्वितीय, उ0प्र0, इलाहाबाद ।

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।
2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in

3- वित्त (लेखा) अनुभाग-1/2

4- वित्त (वेतन आयोग)अनुभाग -1/2

5- वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

6- अनुभागीय गार्ड बुक ।

आज्ञा से,

(राज रतन)
उप सचिव

http://shasanadesh.up.nic.in

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अत: इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।